

कार्यालय-ज्ञाप

पट्टाधारक श्री गणेश चन्द्र भट्ट पुत्र श्री लक्ष्मी दत्त भट्ट निवासी महादेव भट्ट कालोनी नवाबी रोड हल्द्वानी जनपद नैनीताल के पक्ष में औद्योगिक विकास अनुभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1602/VII-1/2015/89-ख/2012 दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ की तहसील गंगोलीहाट के ग्राम बटगेरी में 4.487 है० भूमि में 20 वर्ष की अवधि हेतु खनिज सोपस्टोन का खनन पट्टा स्वीकृत किया गया, जिसका पंजीकरण उपनिबन्धक बागेश्वर में दिनांक 08-08-2016 को किया गया है से सम्बन्धित स्कीम आफ माइनिंग एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना कार्यालय ज्ञाप संख्या 1762/खनन/गौण खनिज-माइनिंग प्लान/26/भू0खनि0ई0/2015-16, दिनांक 31 अक्टूबर, 2015 तथा उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 844/VII-1/2015/68-ख/2015 दिनांक 31 जुलाई, 2015 यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या 1589/VII-1/2015/68-ख/2015 दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 द्वारा जारी उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति- 2015 के प्रस्तर-3(दो)(1) एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 के नियम 34 के अर्न्तगत प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए आर०क्यू०पी० श्री कैलाश चन्द्र, रजिस्ट्रेशन नं० RQP/UKGMU/No.012/YEAR/2019 द्वारा तैयार स्कीम आफ माइनिंग एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना को वैज्ञानिक, तकनीकी एवं पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिकोण से खनन संकियाओं के सुनियोजित संचालन हेतु खनन कार्य सेमी मैक्नाइज्ड माइनिंग से बिना ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग के आगामी वर्ष हेतु वर्ष 2021-22 में 8000 टन, वर्ष 2022-23 में 8000 टन, वर्ष 2023-24 में 8000 टन, वर्ष 2024-25 में 8000 टन एवं वर्ष 2025-26 में 8000 के उत्पादन हेतु प्रस्तुत स्कीम आफ माइनिंग एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जाता है :-

शर्तें/प्रतिबन्ध:-

1. किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि दस्तावेज में दी गई, उपलब्ध कराई गई सूचनाएँ असत्य अथवा गलत ढंग से दर्शायी गई हैं, तो दस्तावेज का अनुमोदन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।
2. खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली-2001 के अर्न्तगत अपेक्षित कोई सूचना/विषय वस्तु का संगुप्त रखना/छिपाना यदि पाया जाता है और उसके सुधार हेतु कोई प्रस्ताव भी नहीं दिया जाता है, तो खनन योजना एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन तुरन्त प्रभाव से वापस लेना माना जायेगा।
3. खनन कार्य एवं खनिजों के खनिज अन्वेषण/खनिज भण्डारण/खनिज का आंकलन एवं सत्यापन अनुमोदित खनन योजना के अनुसार किया जाना होगा। अनुमोदित खनन योजना एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना का अनुपालन न किये जाने की दशा में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली-2001 के अनुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
4. पट्टाधारक द्वारा पट्टा विलेख की समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।
5. पट्टाधारक द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र सं० 893-1(827)/2016 दिनांक 01 मार्च, 2016 द्वारा प्रदत्त पर्यावरणीय अनुमति की समस्त शर्तों का अनुपालन करते हुये उक्त स्कीम आफ माइनिंग/उत्तरोत्तर खान बन्द की स्कीम के अनुसार खनन कार्य करेगा।
6. यह स्कीम आफ माइनिंग अन्य किसी अधिनियम जो कि खान या क्षेत्र पर लागू होते हैं या समय-समय पर राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या अन्य किसी सक्षम द्वारा प्रख्यापित किये जाते हैं, को छोड़कर अनुमोदित की जाती है।
7. यह स्कीम आफ माइनिंग वन (संरक्षण) अधिनियम-1980, वन संरक्षण नियमावली 1981 और अन्य सम्बन्धित अधिनियम और नियमावली, आदेश और दिशा निर्देश जो कि इस खनन पट्टे पर समय-समय पर दिये जाये लागू होंगे।
8. अनुमोदित खनन योजना किसी भी प्रभावी माननीय न्यायालय, मा० ट्रिब्यूनल एवं किसी प्रकार के अन्य न्यायालय आदि के आदेश एवं दिशा निर्देश के लागू होने को बाधित नहीं करती है।
9. इस स्कीम आफ माइनिंग एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन किसी भी न्यायालय के सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी आदेश या निर्देश पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया गया है।
10. प्रत्येक छः माह में खनन क्षेत्र की अनुमोदित स्कीम आफ माइनिंग के अनुसार शर्तों की अनुपालन आख्या जिला खान अधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म को प्रस्तुत की जानी होगी।
11. व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति Code-2020 की अनुपालना की जानी होगी।
12. स्कीम आफ माइनिंग एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना का निष्पादन/कियान्वयन निषेधाज्ञाओं/अधिसूचनाओं, आदि कोई हो तो के रिक्त होने के अधीन होगा।

13. पट्टाधारक जिस खेत में कार्य करेगा उस खेत की सूचना सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/जिला खान अधिकारी, एवं सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी के कार्यालय को जिस खेत में खनन हो रहा है के भूस्वामी से किये गये अनुबन्ध की छाया प्रति खनन कार्य प्रारम्भ करने के 15 दिन पूर्व प्रस्तुत करेगा।
 14. भू-संदर्भित खनन पट्टा प्लान्स सम्मिश्रण उपरान्त भू-संदर्भित वैक्टोराइज्ड खसरा प्लान से पूरी तरह मेल होना चाहिए इसके त्रुटीपूर्ण होने की दशा में सम्बन्धित आर0क्यू0पी तथा पट्टाधारक जिम्मेदार होंगे।
 15. खदान क्षेत्र में खान सुरक्षा निदेशालय, गाजियाबाद से खान प्रबन्धक की नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही पट्टाधारक खनन कार्य प्रारम्भ करेगा।
 16. खदान क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों/श्रमिकों की सुरक्षा तथा अन्य किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित होने पर उसकी जिम्मेदारी पट्टाधारक की होगी।
 17. पट्टाधारक धात्विक खनन अधिनियम 1961, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 एवं खान अधिनियम 1952 का अक्षरशः पालन करेगा।
 18. अनुमोदित स्कीम ऑफ माइनिंग एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना की स्कैन प्रति सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय, जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं आवेदक को अभिलेखार्थ यथाशीघ्र प्रस्तुत करने का दायित्व सम्बन्धित आर0क्यू0पी0/पट्टाधारक का होगा।
- संलग्नक: स्कीम ऑफ माइनिंग
एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना
की अनुमोदित प्रति। खर


(एस0एल0 पेट्रिक)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या: 912 / मु0ख0 / 82 / पिथौ0 / भू0खनि0ई0 / (2008-09)2022, तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
3. सदस्य सचिव राज्यस्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) उत्तराखण्ड देहरादून।
4. जिला खान अधिकारी, खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, पिथौरागढ़।
5. श्री गणेश चन्द्र भट्ट पुत्र श्री लक्ष्मी दत्त भट्ट निवासी महादेव भट्ट कालोनी नवाबी रोड हल्द्वानी जनपद नैनीताल।
6. आर0क्यू0पी0, श्री कैलाश चन्द्र, रजिस्ट्रेशन नं0 RQP/UKGMU/No.012/YEAR/2019।


(एस0एल0 पेट्रिक)
निदेशक